

भस्तीर

आदेश अंचलाधिकारी, फतुहा

आदेश -- पत्रक

(नियम अभिलेख 941 का नियम 26)

तारीख 05/03/13 से 24/04/13 तक

आदेश पत्रक

RTPS APPLICATION NO. 0429 Date 07.03.13

जिला -- पटना

केश का प्रकार:-दाखिल खारीज

दाखिल खारीज बाद सं०

47

/ 2013-2014

हल्का सं० 06

तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित												
11/03/13	<p>श्री/श्रीमती <u>भालती देवी आँठ बालबृद्धमहता, सोनाह का श्रीमती लक्ष्मी देवी</u> पिता/पति <u>श्री रामेश्वर महता</u> गाम <u>बंसकरा घर</u> पो० <u>---</u> थाना <u>बिजौरा</u> जिला <u>गाँव</u> केवाला सं० <u>3749</u> दिनांक <u>16/03/09</u> के आधार पर निम्नलिखित जमीन का दाखिल खारीज हेतु आवेदन दाखिल किया है</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>भौजा का नाम</th> <th>थाना सं०</th> <th>खता सं०</th> <th>खेसरा</th> <th>रकबा</th> <th>लगान</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>सोनाह</u></td> <td><u>30</u></td> <td><u>82</u></td> <td><u>481</u></td> <td><u>04 कड़वा</u> <u>13 कड़वा</u></td> <td><u>1.00</u> <u>202.00</u></td> </tr> </tbody> </table> <p>मूल आवेदन पर हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन हेतु दें। अभिलेख दिनांक <u>14/03/13</u> को उपस्थापित करें। लेखापिष्ट एवं संशोधित अंचलधिकारी फतुहा।</p>	भौजा का नाम	थाना सं०	खता सं०	खेसरा	रकबा	लगान	<u>सोनाह</u>	<u>30</u>	<u>82</u>	<u>481</u>	<u>04 कड़वा</u> <u>13 कड़वा</u>	<u>1.00</u> <u>202.00</u>	<p>आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित</p> <p style="text-align: right;"><u>श्रीमती लक्ष्मी देवी</u></p>
भौजा का नाम	थाना सं०	खता सं०	खेसरा	रकबा	लगान									
<u>सोनाह</u>	<u>30</u>	<u>82</u>	<u>481</u>	<u>04 कड़वा</u> <u>13 कड़वा</u>	<u>1.00</u> <u>202.00</u>									
4/03/13	<p>अभिलेख उपस्थापित है। हल्का कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। हल्का कर्मचारी ने प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत भूमि का जमाबंदी विक्रेता/पावस्कर्ता/इम्नकर्ता के नाम से नहीं मिलती है। अतः आवेदक से जमाबंदी से संबंधित साक्ष्य की मांग करें। अभिलेख दिनांक <u>16/04/13</u> को उपस्थापित करें। लेखापिष्ट एवं संशोधित।</p> <p>अंचलधिकारी फतुहा।</p>	<p>अंचलधिकारी फतुहा।</p>												
5/03/13	<p>अभिलेख उपस्थापित है। हल्का कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। हल्का कर्मचारी ने प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत भूमि का जमाबंदी विक्रेता/पावस्कर्ता/इम्नकर्ता के नाम से नहीं मिलती है। अतः आवेदक से जमाबंदी से संबंधित साक्ष्य की मांग करें। अभिलेख दिनांक <u>16/04/13</u> को उपस्थापित करें। लेखापिष्ट एवं संशोधित।</p> <p>अंचलधिकारी फतुहा।</p>	<p>अंचलधिकारी फतुहा।</p>												

न्यायालय अंचलाधिकारी, फतुहां
आदेश

पृ० संख्या:-02

दाखिल खारीज बाद सं०.....47...../2012-2013

हल्का सं०.....06.....

तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी तारीख सहित
04/13 11/04/13	<p>अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्राप्त है। आवेदक/आवेदिका उपस्थित/अनुपस्थित। आवेदक /आवेदिका के स्तर से उपरोक्त नोटिस के माध्यम से मांगी गई वांछित साक्ष्य आज तक अप्राप्त है, चूंकि हल्का कर्मचारी/अं०नि० के द्वारा प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन कि जमाबंदी विकेता/द्रानकर्ता/प्रवरदाता के नाम से पंजी-II में नहीं मिलती है। उक्त वांछित साक्ष्य के बगैर दा०खा० स्वीकृत करना संभव प्रतीत नहीं होता है, अतः ऐसी परस्थिति में उपरोक्त वांछित साक्ष्य के अभाव में आवेदक /आवेदिका के आवेदन को<u>अपेक्षित</u>.....किया जाता है। आवेदक /आवेदिका अगर चाहें तो अपने हक/हिस्से को प्राप्त करने के लिए सक्षम न्यायालय में जा सकते है</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p>↓ अंचलाधिकारी फतुहां।</p>	<p>↓ अंचलाधिकारी फतुहां।</p>